रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072020-220389 CG-DL-E-06072020-220389

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1970] No. 1970] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2020/आषाढ़ 15, 1942 NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2020/ASADHA 15, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2020

आय-कर

का.आ. 2227(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23चङ) के उपखंड (iii) की मद (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त मद (ख) के प्रयोजनों के लिए, कारबार को ऐसे कारबार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक एफ सं0 13/3/2017-आई.एन.एफ. तारीख 13 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में वर्णित अवसंरचना उपक्षेत्र की अद्यतन सुव्यवस्थित मास्टर सूची में वर्णित अवसंरचना उपक्षेत्रों में लगा हुआ है।

2. अवसंरचना उपक्षेत्रों की उक्त सुव्यवस्थित मास्टर सूची में अवसंरचना उपक्षेत्रों के प्रति निर्देश में उक्त मद (ख) में पहले से ही उपबंधित कारबार सम्मिलित नहीं होगा।

3005 GI/2020 (1)

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, **2021** से प्रवृत्त होगी और निर्धारण वर्ष 2021-22 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लाग होगी।

> [अधिसूचना सं0 44/2020/फा0सं0 370142/ 24 /2020-टीपीएल)] नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6 th July, 2020

INCOME - TAX

- **S.O. 2227E).**—In exercise of the powers conferred by item (b) of sub-clause (iii) of clause (23FE) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies business, for the purposes of said item (b), to be the business which is engaged in the infrastructure sub-sectors mentioned in Updated Harmonised Master List of Infrastructure Sub-sectors in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, published in Gazette of India, Extraordinary, vide number, F.No.13/3/2017-INF dated 13th August, 2018.
- 2. The reference to the infrastructure sub-sectors in the said Harmonised Master List of Infrastructure Sub-sectors shall not include the business already provided in the said item (b).
- 3. This notification shall come into force from the 1st day of April, 2021 and shall be applicable for assessment year 2021-22 and subsequent assessment years.

[Notification No. 44/2020/F. No. 370142/24/2020-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.

(Tax Policy and Legislation Division)